भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2183

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में प्रगति

2183. **डॉ. राजकुमार सांगवान:**
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री विजय कुमार दूबे:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और
(ग) इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को आवंटित और जारी किए गए केन्द्रीय हिस्से का वर्ष-वार व राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** के रुप में संलग्न है।

(ख): समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पुस्तकालय और पुस्तकों का प्रावधान, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु की गई प्रमुख पहलों में से एक है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों हेतु अनुदान प्रदान करना शामिल है। इस घटक का उद्देश्य स्कूल पुस्तकालयों को ऐसे अधिगम स्थलों के रूप में विकसित करना है जो जीवन भर के पाठकों और ज्ञान के साधकों को प्रोत्साहित करें तथा प्रासंगिक, आयु-उपयुक्त, विविध और आकर्षक पुस्तकों व अन्य पठन सामग्री के माध्यम से पढ़ने की क्षमता को बढ़ावा दें। समग्र शिक्षा के घटक 'मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाना' के अंतर्गत उन स्कूलों में पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जहां पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। पुस्तकालय कक्षों की स्वीकृति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना

और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्ताव में विचारार्थ प्रस्ताव किया जा सकता है। प्रस्ताव में सिविल कार्य, फर्नीचर, अलमारी, रैक, फिक्सिंग और फिटिंग्स की लागत को शामिल किया जा सकता है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकालय अनुदान हेतु निधि स्कूल की श्रेणी के आधार पर 5000/- रुपये से लेकर 20000/- रुपये तक होती है। विवरण निम्नानुसार है:

स्कूल की श्रेणी	**पुस्तकालय अनुदान**
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V)	₹ 5,000/-
उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा VI से VII)	₹ 13,000/-
माध्यमिक विद्यालय (कक्षा IX और X)	₹ 15,000/-
केवल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कक्षा XI से XII)	₹ 20,000/-

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों हेतु पुस्तकालय अनुदान के अंतर्गत कुल 2100.50 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है, जिसमें से 1347.38 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। विगत तीन वर्षों में कुल 2045 पुस्तकालय कक्ष अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 545 बन चुके हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान पुस्तकालय अनुदान के अंतर्गत 692.92 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ग): एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा में स्कूली शिक्षा की प्री-स्कूल से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

बच्चों के समग्र विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए, समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, सह-पाठयक्रम गतिविधियों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा घटक की शुरुआत की गई है। सरकारी स्कूलों में खेल उपकरणों के लिए प्राथमिक विद्यालयों हेतु 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 10,000 रुपये तथा माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों हेतु 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान का प्रावधान किया गया है। विगत तीन वर्षो के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के अंतर्गत कुल 2361.34 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है, जिसमें से 1323.75 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 729.25 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्यगण डॉ. राजकुमार सांगवान, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री विजय कुमार दूबे और डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में प्रगति' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2183 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित और जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का राज्य-वार ब्यौरा:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		आवंटित केंद्रीय हिस्सा	**जारी केंद्रीय हिस्सा**	**आवंटित केंद्रीय हिस्सा**	**जारी केंद्रीय हिस्सा**	**आवंटित केंद्रीय हिस्सा**	**जारी केंद्रीय हिस्सा**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	56.37	31.52	74.02	56.51	86.90	55.28
2	आंध्र प्रदेश	1348.54	683.01	1712.59	1503.59	1775.86	1289.41
3	अरुणाचल प्रदेश	442.16	279.96	533.70	252.29	576.59	475.04
4	असम	1977.03	1561.56	2514.60	2080.86	2578.10	1810.48
5	बिहार	3827.55	3406.08	5018.87	3554.59	4991.23	4241.73
6	चंडीगढ़	100.24	108.04	124.23	109.79	132.14	116.36
7	छत्तीसगढ़	887.90	332.37	1138.33	828.00	1157.85	776.59
8	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	67.41	20.92	87.94	64.67	95.37	41.30
9	दिल्ली	315.21	145.88	377.27	221.94	368.92	146.09
10	गोवा	18.61	11.02	29.86	29.86	29.63	18.66
11	गुजरात	1009.74	893.76	1371.21	1321.25	1316.73	1132.53
12	हरियाणा	825.39	517.09	963.50	670.21	1010.74	578.80
13	हिमाचल प्रदेश	581.66	319.10	738.08	551.60	672.19	485.97
14	जम्मू और कश्मीर	1320.22	873.99	1650.60	364.97	1721.60	865.44
15	झारखंड	900.18	858.97	1167.68	1154.52	1215.45	1104.93
16	कर्नाटक	707.61	474.52	1004.94	861.52	922.75	828.09
17	केरल	252.22	225.13	348.47	178.16	328.83	141.66
18	लद्दाख	100.00	57.18	123.49	14.89	212.09	52.23
19	लक्षद्वीप	5.73	2.16	7.87	4.33	5.75	1.00
20	मध्य प्रदेश	2946.31	2292.80	3727.88	1939.29	3842.07	2981.51
21	महाराष्ट्र	1013.70	693.03	1592.90	900.00	1317.43	1001.19
22	मणिपुर	370.43	182.50	494.19	404.76	483.05	257.22
23	मेघालय	305.84	271.71	375.15	375.15	398.83	394.18
24	मिजोरम	225.60	179.68	323.08	142.68	344.29	274.14
25	नगालैंड	218.09	137.34	281.05	281.04	314.28	231.25
26	ओडिशा	1453.34	1238.07	1841.08	1836.67	1904.13	1236.61
27	पुडुचेरी	15.14	13.98	19.87	15.28	19.74	12.47
28	पंजाब	543.53	501.27	719.06	605.05	708.78	331.12
29	राजस्थान	2730.20	2405.82	3452.20	2138.61	3560.25	3202.89
30	सिक्किम	122.49	100.12	151.76	107.19	159.73	132.61
31	तमिलनाडु	1649.96	1598.82	2117.60	2107.23	2090.77	1876.16
32	तेलंगाना	880.61	553.28	1143.86	1142.51	1148.35	920.13
33	त्रिपुरा	318.20	226.93	387.41	286.73	414.94	341.33
34	उत्तर प्रदेश	5123.11	2044.97	6261.80	3819.75	6578.75	4276.45
35	उत्तराखंड	672.63	320.84	844.44	704.39	686.30	440.57
36	पश्चिम बंगाल	1338.77	1309.74	1773.38	1522.04	1745.80	311.29
	कुल	**34671.73**	**24873.18**	**44493.94**	**32151.94**	**44916.21**	**32382.70**